अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–94–68/2013 अपीलार्थी – रीता कुमारी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 82–2/प्रो0 दिनांक 09.08.2011 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि पतरघट परियोजना के धवौली पूर्वी पंचायत के केन्द्र दूर्गा स्थान रहुआ टोला– कोड सं0– 79 का निरीक्षण दिनांक 13.07.2011 एवं 22.07.2011 को कुमारी मधुलिका महिला पर्यवेक्षिका ने किया । जिसके क्रम में उन्होंने आँगनबाड़ी केन्द्र को महीने से बंद रहने एवं पोषाहार कार्यक्रम बंद रहने का आरोप लगाए है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में केन्द्र सं0–79 की सेविका श्रीमती सुनयना कुमारी एवं सहायिका रीता कुमारी से कार्यालय ज्ञापांक 707–1 दिनांक 25.07.2011 से स्प्ष्टीकरण पूछा गया एवं निर्धारित तिथि 29.07.2011 को (अपीलार्थी) सहायिका रीता कुमारी उपस्थित होकर अपना पक्ष /जबाव समर्पित किया । इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया, एवं अपना–अपना पक्ष साक्ष्य/ कागजात	

प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण 22.07.2011 को किया गया जिसमें सहायिका रीता कुमारी केन्द्र पर उपस्थित थी, जो बातें तथ्य महिला पर्यवेक्षिका के निरीक्षण हेतु जाँच प्रपत्र को देखने से स्पष्ट है, चूँकि उसी जाँच प्रपत्र में नीचे में सहायिका रीता देवी का हस्ताक्षर किया हुआ, अवलोकन कराया गया जो प्रमाणित करता है कि निरीक्षण तिथि को सहायिका श्रीमती रीता कुमारी केन्द्र पर मौजूद थी।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित निरीक्षण जाँच प्रपत्र में निरीक्षण की तिथि दर्ज है किन्तु उसमें समय दर्ज नहीं है कि कितने समय में केन्द्र का निरीक्षण किया गया है यहाँ उल्लेखीय है कि अपीलार्थी सहायिका को अनुपस्थित दर्शाकर निम्न न्यायालय द्वारा चयन मुक्ति किया गया है जो सवर्था अनुचित गलत है चूँकि अपीलार्थी सहायिका केन्द्र पर उपस्थित है। दिनांक 13.07.2011 के जाँच के संबंध में भी कहना है कि उक्त तिथि को सहायिका केन्द्र पर उपस्थित थी तथा सहायिका पोषक क्षेत्र के लाभुक बच्चों को बुलाने पोषक क्षेत्र में गई हुई थी, बावजूद महिला पर्यवेक्षिका ने जान– बुझकर अनुपस्थित बता दिया, इस संबंध में पोषक क्षेत्र के मुखिया, सरपंच, समीति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुंशसित आवेदन जिस पर वार्ड सदस्य ने भी हस्ताक्षर किए है, सबों ने लिखा है सहायिका केन्द्र पर नियमित रूप से आती है, साथ ही कर्त्तव्यों का संचालन भी सही रूप में करती है। इसे भी अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सहायिका का मुख्यरूप से कार्य केन्द्र को साफ रखना लाभुक बच्चों को बुलाना एवं पहुँचाना, पोषाहार बनाना है जिसके लिए उसे मात्र मामुली मानदेय महीने भर में 1500 (एक हजार पाँच सो रूपये) ही मिलते है चूँकि अपीलार्थी गरीब महिला है उसी 1500 रू0 में वह महीने भर इस कड़े महंगाई युग में भी काम करती है, गलत तथ्य रखकर, व्याख्या कर महिला पर्यवेक्षिका ने उसे चयन मुक्त आदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा को रिर्पोट सौंप कर करवाया है।

इसके साथ ही अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना ने कई आदेश में पारित किए गए है कि एक दिन के अनुपस्थिति के आधार पर चयन मुक्त आदेश देना दुखद एवं गलत है। इस आधार पर भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश खंडित करने योग्य है ।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं के आधार पर

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि महिला पर्यवेक्षिका ने गलत व्याख्या करके, सहायिका को निरीक्षण तिथि को अनुपस्थित बताया है जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन के नीचे में रीता कुमारी ने अपना हस्ताक्षर उस तिथि को दर्ज किए है जो प्रमाणित करता है कि निरीक्षण तिथि को सहायिका अपने कार्य पर थी तो फिर चयन रद्द करना कहां तक न्यायोचित है? । माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना ने भी अपने C.W.J.C.No-317/2013 में यह आदेश पारित किये है कि एक दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर चयन मुक्ति आदेश गलत एवं दुखद है इसके लिये चयन मुक्ति जैसा कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए इस आधार पर भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने आदेश ज्ञापांक 82–2/प्रो0 दिनांक 09.08.2011 को खंडित करते हुए (अपीलार्थी) सहायिका को चेतावनी सहित निर्देश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत केन्द्रो पर मुस्तैदी व लगन के साथ आगे अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। सहायिका को आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद चयन बरकरार रखा जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.4.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.4.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा